

पुस्तक

श्री. सत्य प्रिय निदेशन
विभागाधीनकारी
उत्तर प्रदेश सरकार

सेवा नं.

राज्य
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
मिशन रोड-2 गुरुदास नगर,
प्रो. विहार, नई दिल्ली।

दिनांक 178 अनुभाग

मसुदा दिनांक: 25 अक्टूबर, 1999

विषय:- कोको गणना रकम कागजर श्रेणी, सरधना, मेरठ की सी0पी0एस0ई0
नई दिल्ली से संख्या 189 अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र कलने का निदेश हुआ है कि कोको पत्रिका
रकम, कागजर श्रेणी सरधना मेरठ की सी0पी0एस0ई0 से संख्या 189 अनापत्ति
प्रमाण-पत्र दिने जाने में का राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिशुद्धि के अधीन
आपत्ति नहीं है:-

- 111 विधानम की प्रोजेक्टा सौभाग्यी अ सम सम पर नवीनीकरण
कराया जायेगा।
- 121 विधानम की प्रथम समिति में विभा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य
होगा।
- 131 विधानम में एक से कम एक प्रकृत रथान अनुपुषित वाणि/अनुपुषित
नवाति के अर्थों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद, द्वारा संघानित विधानमों में विभिन्न
व्याजों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संघा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्ण में विधानम माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा
देशिक शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विधानम की संख्या
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी0पी0एस0ई0 के अंतर्गत रकम
सर्वोपेक्ष उपचारितान नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
नहीं है उका केन्द्रीय परिषदों की संख्या प्राप्त होने की तिथि से
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदात मान्यता तथा
राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 सेवा शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कार्यारिषों की राजकीय सेवाया प्राप्त
विशेष संख्याओं के कार्यारिषों की अनुमति वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिने जायेगे।
- 161 कार्यारिषों की सेवा शर्तें बनाये जायेगी और उन्हें सेवाया प्राप्त
आवकीय उत्पत्त माध्यमिक विधानमों के कार्यारिषों की अनुमति
सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगे।

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निकाल दिये जायेंगे तैयार उनका पालन करेगी।
- 181 विधानसभा का रिजॉल्यूट निर्धारित प्रमाण/परिभाषाओं में रखा जायेगा।
- 191 उनका शर्तों में राज्य सरकार के पूर्ण विचारों के बिना कोई प/सामान/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबंध पर भी होगा कि तैयार द्वारा वह स्वीकार किया जाय कि 111 विधानसभा के भूयःपरिचय के अंतर्गत में अधिनियमित पुष्टि हो जाय। 121 विधानसभा निर्धारित भाग के है।
- 3- उनका प्रतिबंधों का पालन करना तैयार के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर पाला जाता है कि तैयार द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनपेक्षित प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय

भारत सरकार
विशेषज्ञाधिकारी

सं०- 4019 111/15-7-99 भारतीय

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक शर्तों से

प्रमाण:-

- 1- तैयार निर्देशक, 3090, नई दिल्ली
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त तैयार निर्देशक, मेरठ
- 3- तैयार विधानसभा निर्देशक, मेरठ
- 4- निर्देशक अंतर्गत भारतीय विधानसभा, 3090, नई दिल्ली
- 5- प्रबंधक, के००० पश्चिम बंगाल, भारत सेवा, सरकार, मेरठ

आधा है

भारत सरकार
विशेषज्ञाधिकारी